22

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

(2021-22)

सत्रहवीं लोक सभा

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

[नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी छठे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

बाइसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2022/ फाल्गुन, 1943 (शक)

बाइसवां प्रतिवेदन

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति
(2021-22)
(सत्रहवीं लोक सभा)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

[नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी छठे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

22 मार्च, 2022 को लोक सभा को प्रस्तुत किया गया

22 मार्च, 2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2022 / फाल्गुन,1943 (शक)

सीओई सं. 346

मूल्यः रुपये.....

© 2022 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और द्वारा मुद्रित

विषय सूची

		पृष्ठ सं.
समिति (2021-22) की संरचना		**5**
प्राक्कथन.....		**7**
अध्याय एक	प्रतिवेदन	**8**
अध्याय दो	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है	**17**
अध्याय तीन	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है	**38**
अध्याय चार	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है	**39**
अध्याय पाँच	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं	**44**
परिशिष्ट		
एक.	समिति की 15 मार्च, 2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश	**45**
दो.	ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण।	**47**

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री गुरजीत सिंह औजला
3. श्री देवेन्द्र सिंह भोले
4. श्री हरीश द्विवेदी
5. श्री संजय हरिभाऊ जाधव
6. श्री किशन कपूर
7. डॉ. ए. चैल्ला कुमार
8. श्री सुनील कुमार मंडल ^
9. श्री उत्तम कुमार रेड्डी
10. श्री अशोक महादेवराव नेते
11. श्री प्रवीन कुमार निषाद
12. श्री पी. वेलुसामी
13. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
14. श्री ज्ञानेश्वर पाटिल@
15. श्री जय प्रकाश
16. श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़
17. श्री एस. ज्ञानतिरावियम
18. श्री बेल्लाना चंद्रशेखर
19. श्री एस.सी. उदासी
20. श्री अखिलेश यादव
21 रिक्त #

राज्य सभा

22. श्री अजीत कुमार भुयान
23. श्री टी.के.एस. एलंगोवन

24. श्री राजेन्द्र गहलोत*
25. श्री मुजीबुल्ला खान
26. श्री महाराजा संजाओबा लेशंबा
27. श्री एस. सेल्वागनबेथी*
28. श्री संजय सेठ
29. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
30. श्री के.टी.एस. तुलसी
31. रिक्त $

<u>सचिवालय</u>

1.	डॉ. राम राज राय	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री आर.के. सूर्यनारायणन	-	निदेशक
2.	श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा	-	अपर निदेशक
3.	सुश्री दीपिका	-	समिति अधिकारी

---

^ श्रीमती साजदा अहमद के स्थान पर दिनांक 01.12.2021 से समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट हुए ।

@ श्री रमेश चन्द्र कौशिक के स्थान पर दिनांक 07.2.2022 से समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट हुए ।

समिति के गठन के समय से रिक्त ।

* दिनांक 11.11.2021 से समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट हुए ।

$ श्री जुगलसिंह लोखंडवाला द्वारा 02.12.2021 को समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दिया गया।

प्राक्कथन

मैं, ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी छठे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी यह बाइसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

2. छठा प्रतिवेदन 08 मार्च, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर भी रखा गया था । इस प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार के उत्तर 24 दिसंबर, 2021 को प्राप्त हो गये थे।

3. समिति ने 15 मार्च, 2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया ।

4. समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट-दो में दिया गया है ।

5. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियां और सिफारिशें प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित की गई हैं ।

नई दिल्ली; **राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,**
15 मार्च, 2022 **सभापति,**
24 फाल्गुन, 1943 (शक) **ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति**

अध्याय - एक

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) के संबंध में समिति के छठे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है।

2. छठा प्रतिवेदन 08 मार्च, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था तथा उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। इस प्रतिवेदन में 12 सिफारिशें/टिप्पणियां अंतर्विष्ट थीं।

3. प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार से की-गई-कार्रवाई टिप्पण प्राप्त हो गए हैं। इन्हें निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है-

(एक) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

क्रम सं. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 12 कुलः 09

अध्याय-दो

(दो) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है

-शून्य- कुलः 00

अध्याय-तीन

(तीन) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

क्रम सं. 2, 10 और 11 कुलः 03

अध्याय-चार

(चार) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

-शून्य- कुलः 00

अध्याय-पांच

4. समिति यह पाती है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) से संबंधित छठा प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) 08 मार्च, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था तथा उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। मंत्रालय द्वारा प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई उत्तर 03 महीने की अवधि के भीतर अर्थात् 07 जून, 2021 तक भेजे जाने अपेक्षित थे। लेकिन मंत्रालय ने 06 महीने से अधिक समय के विलंब के पश्चात् 24 दिसंबर, 2021 को की-गई-कार्रवाई उत्तर भेजे हैं। समिति मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई उत्तर भेजने में किए गए विलंब की निंदा करती है। समिति ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए मंत्रालय को हिदायत दी है कि वह समिति को समय पर उत्तर भेजना सुनिश्चित करे। यह भी दोहराया जाता है कि समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार के उत्तर व्यापक होने चाहिए। ये अधूरे एवं अस्पष्ट नहीं होने चाहिए अथवा उत्तर "नोट कर लिया गया है", "स्वीकार कर लिया गया है" जैसे शब्दों में नहीं दिया जाना चाहिए।

5. समिति आगे यह चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई विवरण इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर समिति को भेज दिया जाए ।

6. अब समिति सरकार द्वारा उनकी उन टिप्पणियों/सिफारिशों जिन्हें दोहराए जाने या जिन पर गुण-अवगुण के आधार पर टिप्पणी किए जाने की आवश्यकता है, पर की गई कार्रवाई पर विचार करेगी।

<u>सिफारिश संख्या - 2</u>

7. समिति ने निम्नवत सिफारिश की थी:

"समिति नोट करती है कि संशोधित प्राकक्लन के समय मंत्रालय की सकल बजटीय सहायता में काफी कमी की गई। वर्ष 2019-20 में आवंटन में लगभग 26 प्रतिशत और वर्ष 2020-21 में लगभग 38 प्रतिशत कमी की गई है। समिति यह पाती है कि मंत्रालय पिछले वर्षों के दौरान कम आवंटन का भी पूर्ण उपयोग नहीं

कर सका। इसने वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 (जनवरी, 2021 तक) के दौरान संशोधित बजट आवंटन का क्रमशः 86.97 प्रतिशत, 91.53 प्रतिशत और 69.78 प्रतिशत का उपयोग किया। समिति को इस बात पर आश्चर्य है कि जिस महत्वपूर्ण और सक्रिय क्षेत्र को वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट क्षमता के लक्ष्यों को प्राप्त करना है उसके लिए आबंटित धनराशि अप्रयुक्त रही। आवंटित धनराशि का उपयोग न करना ऐसे देश में स्वीकार्य नहीं है, जहां बजटीय संसाधन सीमित हैं और विवेकपूर्ण वित्तीय आयोजना से अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को पूरा किया जाना हो, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि बजटीय आवंटनों का पूर्ण और उचित उपयोग किया जाए। किसी विशेष वित्तीय वर्ष हेतु संसद द्वारा स्वीकृत बजटीय आवंटनों को केवल कागज़ पर ही नहीं रहने दिया जा सकता क्योंकि यह धनराशि सीमित और व्यपगत होने वाली होती है जिसका उस विशेष वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व निर्धारित बजटीय समय-सीमा के भीतर उपयुक्त रूप से व्यय तथा उपयोग किया जाना होता है। समिति का यह विचार है कि संशोधित प्राकक्लनों के चरण पर बजटीय आवंटन में लगातार कमी और विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत कम बजट आवंटन का भी पूरा उपयोग न करना मंत्रालय की वित्तीय आयोजना में कमी को दर्शाता है। अत: समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को अपनी बजट बनाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना चाहिए और धनराशि के उपयोग की अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्योकिं आवंटित धनराशि का लगातार पूर्ण उपयोग न करने से आने वाले वित्तीय वर्षो में बजटीय आवंटन की मंत्रालय की मांग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।"

8. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:

"समिति के सुझावों को अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है। वर्ष 2020-21 केदौरान, बजट अनुमान 5753 करोड़ रुपए तथा संशोधित अनुमान 3591 करोड़ रुपए की तुलना में वास्तविक व्यय 3096.73 करोड़ रुपए था जो संशोधित अनुमान का 86.24 प्रतिशत था। यह कमी मुख्य रूप से कोविड महामारी के फैलने तथा आर्थिक कार्य विभाग द्वारा दिसंबर 2020 तक प्रत्येक माह के

दौरान मासिक व्यय को बजटीय परिव्यय के 5 प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों के कारण भी थी।

इसके अलावा, देश में अधिकांश ग्रिड संबद्ध अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित निजी सेक्टर के डेवलपरों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। अक्षय ऊर्जा (आरई) टैरिफ में गिरावट के कारण ग्रिड संबद्ध विद्युत के लिए कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं है। अत: किसी वित्तीय वर्ष में बजटीय खर्च का उस वर्ष में स्थापित आरई क्षमता के साथ अधिक सह-संबंध नहीं होता।"

9. समिति ने अपनी सिफारिश में नोट किया था कि संशोधित अनुमानों के चरण में मंत्रालय को दी गई सकल बजटीय सहायता में काफी कमी कर दी गई थी। वर्ष 2019-20 में आवंटन में लगभग 26% और 2020-21 में लगभग 38% की कमी की गई थी। समिति ने पाया कि मंत्रालय पिछले वर्षों के दौरान कम आबंटनों का भी पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सका और यह आश्चर्य की बात है कि ऐसे महत्वपूर्ण और गतिशील क्षेत्र में निधियों को खर्च नहीं किया गया जिसमें एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना था। मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा है कि यह कमी मुख्य रूप से कोविड महामारी के फैलने और इसके परिणामस्वरूप आर्थिक कार्य विभाग द्वारा दिसंबर 2020 तक प्रत्येक माह के दौरान मासिक व्यय को बजटीय परिव्यय के 5 प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों के कारण थी । यह भी बताया गया है कि देश में ग्रिड से जुड़ी अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को निजी क्षेत्र के विकासकर्ताओं द्वारा बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय सहायता के कार्यान्वित किया जा रहा है।

समिति यह पाती है कि मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए क्रमशः 9523.04 करोड़ रुपये और 9254.77 करोड़ रुपये की बजटीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाया है और दोनों वित्तीय वर्षों में प्रत्येक में 5753.00 करोड़ रुपये का बीई वास्तव में आवंटित किया गया था, जिसे संशोधित अनुमान के समय फिर से कम कर दिया गया था।. निधियों की मांग, आबंटन और वास्तविक उपयोग में इस प्रकार का बेमेल स्पष्ट रूप से मंत्रालय द्वारा खराब

वित्तीय आयोजना की ओर इशारा करता है। समिति का मानना है कि कोविड महामारी का बहाना तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मंत्रालय द्वारा आवंटित धन का उपयोग नहीं करने की समस्या कोविड-19 के प्रकोप से पहले है क्योंकि मंत्रालय कम से कम 2016-17 से अपने बजटीय आवंटन का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाया है। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा दावा किया गया है कि अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को निजी क्षेत्र द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता के बिना जोड़ा जा रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए बढ़ी हुई बजटीय आवश्यकता का अनुमान लगाया है क्योंकि निजी क्षेत्र नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आत्मनिर्भर हो गया है और इसे सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं चाहिए। इसलिए समिति अपनी इस सिफारिश को दोहराती है कि मंत्रालय को अपनी बजट निर्माण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना चाहिए और अपनी निधि उपयोग क्षमता में वृद्धि करनी चाहिए ताकि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वांछित बजटीय आबंटन किया जा सके ।

<u>सिफारिश संख्या - 10</u>

10. समिति ने निम्नवत सिफारिश की थी:

"समिति टिप्पणी करती है कि देश में परिवहन के लिए बॉयो-सीएनजी के उत्पादन हेतु और उद्योगों की तापीय और विद्युत ऊर्ज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्युत और बॉयोगैस उत्पादन हेतु म्युनिसिपल सोलिड वेस्ट, शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट/अवशिष्ट आधारित 221 अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित किए गए हैं। समिति नोट करती है कि मंत्रालय अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्य प्राप्त कर सका है लेकिन धनराशि का स्तरीय उपयोग नहीं किया गया क्योंकि यह आवंटित पूर्ण राशि का उपयोग नहीं कर सका। अतः कहा जा सकता है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्य बढाए जा सकते हैं ताकि इसकी पहुंच बढ़ाई जा सके। समिति यह भी मानती है कि कृषि अवशिष्ट/अपशिष्ट के उपयोग से ऊर्जा उत्पादन में पराली जलाने के मामलों में कमी आएगी जिससे वायु प्रदुषण की समस्या का समाधान

हो सकेगा। अतः समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर करने के लिए स्थानीय निकायों के साथ परामर्श कर अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र लगाने को प्रोत्साहित करना चाहिए।"

11. मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:

"स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिश को प्रभाग द्वारा नोट कर लिया गया है। इस संबंध में यह अवगत कराना है कि यह मंत्रालय "शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट/अवशिष्ट से ऊर्जा संबंधी कार्यक्रम" के तहत शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा दे रहा है। कार्यक्रम के तहत परियोजना विकासकर्ताओं को केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की गई थी। इस कार्यक्रम की वैधता के दौरान, इस मंत्रालय द्वारा एमएसडब्ल्यू से विद्युत की 5 परियोजनाओं सहित 29 अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। यह कार्यक्रम दिनांक 31.03.2021 को समाप्त हो गया।

कार्यक्रम को दिनांक 31.03.2021 से आगे जारी रखने के लिए राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम की एकीकृत योजना के तहत एक ईएफसी प्रस्ताव व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को भेजा गया था। इस प्रस्ताव में स्थानीय निकायों द्वारा शहरी क्षेत्रों में 50 एमएसडबल्यू आधारित बिजली संयंत्रों की स्थापना करना शामिल है। हालांकि दिनांक 22.09.2021 को आयोजित ईएफसी की बैठक के दौरान यह सिफारिश की गई थी कि कार्यक्रम केवल पहले की देनदारियों को पूरा करने के लिए जारी रखा जा सकता है और इस कार्यक्रम की उप योजनाओं के तहत कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं की जा सकती है।"

12. समिति ने अपनी सिफारिश में नोट किया था कि मंत्रालय अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम के तहत कमोबेश भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम रहा है, लेकिन इसके द्वारा निधि का स्तरीय उपयोग नहीं किया गया क्योंकि यह पूर्ण आबंटित राशि का उपयोग नहीं कर सका । इसलिए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस कार्यक्रम के तहत भौतिक लक्ष्य को बढ़ाने की गुंजाइश है ताकि इसकी पहुंच को और बढ़ाया जा सके। तथापि, मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया है कि 'शहरी,

औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट/अवशिष्ट से ऊर्जा संबंधी कार्यक्रम' की अवधि 31-03-2021 को समाप्त हो गई है।

समिति ने पाया कि व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने पहले कार्यक्रम को जारी रखने की सिफारिश की थी और स्थानीय निकायों द्वारा शहरी क्षेत्रों में 50 एमएसडब्ल्यू आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, बाद में 22.09.2021 को आयोजित अपनी बैठक में, ईएफसी ने सिफारिश की कि कार्यक्रम को केवल पहले से ही बनाई गई देनदारियों को पूरा करने के लिए जारी रखा जा सकता है और इस कार्यक्रम की उप योजनाओं के तहत कोई नई परियोजनाएं स्वीकृत नहीं की जा सकती हैं। समिति की राय है कि इस कार्यक्रम को जारी रखा जाना चाहिए क्योंकि ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए कृषि अपशिष्ट/अवशिष्ट के उपयोग से पराली जलाने को कम करने और तदुपरांत वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने का अतिरिक्त लाभ होता है। इसलिए समिति अपनी इस सिफारिश को दोहराती है कि मंत्रालय को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों के परामर्श से अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करना चाहिए। समिति चाहती है कि मंत्रालय को कार्यक्रम को जारी रखने के संबंध में ईएफसी की सिफारिशों में परिवर्तन के कारणों को भी प्रस्तुत करना चाहिए।

<u>सिफारिश संख्या - 11</u>

13. समिति ने निम्नवत सिफारिश की थी:

"समिति यह नोट करती है कि मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास हेतु अपने वार्षिक बजट का 10 प्रतिशत उपयोग करने संबंधी दायित्व को पूरा नहीं कर पाया है। मंत्रालय द्वारा बार-बार बताया गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए जिस कारण धनराशि में काफी कमी हुई। यह भी बताया गया कि अन्य राज्यों की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र में सौर और पवन ऊर्जा की संभावना कम है, इसलिए इन क्षेत्रों में सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन लाभप्रद नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में लघु जल विद्युत की पर्याप्त

संभावना है तथापि वर्ष 2017-18 से इसकी क्षमता में शून्य वृद्धि हुई और वर्ष 2018-19 में न्यूनतम वृद्धि हुई। इस बात को ध्यान मे रखते हुए कि पूर्वोत्तर राज्य मंत्रालय की ऑफ-ग्रिड तथा विकेंद्रीकृत एप्लीकेशन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को पूर्वोत्तर राज्यों में प्राथमिकता देनी चाहिए और कोई योजना बनाते समय इस क्षेत्र की विशिष्टताओं को ध्यान में रखना चाहिए।"

14. मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:

"वर्ष 2020-21 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) को आंवटित धनराशि का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2020-21	565.00	335.00	107.00

ऑफ-ग्रिड सौर पीवी कार्यक्रम चरण-II, को विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 1-4-2020 से 31-3-2021 तक सौर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए सौर स्टडी लैंप के वितरण और 90 प्रतिशत सब्सिडी के साथ सार्वजनिक संस्थानों के लिए सौर ऊर्जा पैक के वितरण के लिए बढ़ाया गया था।

वर्ष 2021-22 के दौरान 565.00 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में नवंबर 2021 तक 23.18 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।"

15. समिति ने अपनी सिफारिश में नोट किया था कि मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए अपने वार्षिक बजट के 10% के उपयोग के संबंध में अपने दायित्व को पूरा नहीं कर पाया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए 565 करोड़ रुपये के बजटीय अनुमानों की तुलना में क्रमशः 107 करोड़ रुपये और 23.18 करोड़ रुपये (नवंबर 2021 तक) का व्यय किया गया है। मंत्रालय द्वारा बताया गया कि निधियों के उपयोग में अत्यधिक कमी पूर्वोत्तर राज्यों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई है। समिति का मानना है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में लघु जल विद्युत की पर्याप्त संभावनाएं हैं; तथापि, मंत्रालय का लघु जल विद्युत कार्यक्रम अप्रैल,

2017 से विचाराधीन है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर राज्य मंत्रालय की ऑफ-ग्रिड और विकेंद्रीकृत योजनाओं में रुचि रखते हैं, लेकिन मंत्रालय द्वारा अटल ज्योति योजना (अजय), ऑफ-ग्रिड और विकेंद्रीकृत सौर पीवी अनुप्रयोग कार्यक्रम आदि जैसी योजनाओं को बंद कर दिया गया है/रोक दिया गया है। यह आश्चर्य की बात है कि एक ओर मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्यों से प्रस्तावों की कमी के बारे में शिकायत कर रहा है और दूसरी ओर संबंधित योजनाएं या तो लगभग पांच वर्षों से विचाराधीन हैं या रोक दी गई हैं या बंद कर दी गई हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, समिति अपनी इस सिफारिश को दोहराती है कि मंत्रालय को इसके ऑफ-ग्रिड और विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोग कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पूर्वोत्तर राज्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए और स्कीमें तैयार करते समय इस क्षेत्र की विशिष्टताओं को ध्यान में रखना चाहिए। समिति यह भी चाहती है कि ऑफ-ग्रिड सौर पीवी कार्यक्रम का विस्तार किया जाना चाहिए।

अध्याय - दो
टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर किया है

सिफारिश संख्या - 1

समिति नोट करती है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित सभी मामलों हेतु भारत सरकार का नोडल मंत्रालय है। मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 9254.77 करोड़ रुपये के आवंटन की मांग की गई थी लेकिन वास्तव में 5753.00 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए जो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु मंत्रालय के बजट की कटौती किए जाने के बावजूद इसे जलवायु परिवर्तन संबंधी पेरिस समझौते के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान और स्वस्थ धरती के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का बड़ा दायित्व सौंपा गया है, जिसमें 100 गीगावाट सौर ऊर्जा, 60 गीगावाट पवन ऊर्जा, 10 गीगावाट जैव ऊर्जा और 5 गीगावाट लघु जल विद्युत क्षमता स्थापित किया जाना शामिल है।

समिति ने यह पाया है कि 31 जनवरी, 2021 तक कुल 92.54 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की स्थापना की गई जो लक्ष्य के 50 प्रतिशत से कुछ अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि निधियों का सार्थक उपयोग करते हुए शेष 82.46 गीगावाट क्षमता को अगले डेढ़ वर्ष में स्थापित करना होगा। तथापि, पिछले रुझान यह दर्शाते हैं कि विगत वर्षों के दौरान मंत्रालय अपने बजटीय आवंटनों का पूरा उपयोग नहीं कर पाया है। ऐसी स्थिति में, समिति महसूस करती है कि दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करने में मंत्रालय द्वारा ढ़िलाई बरतना हमारी प्रतिबद्धता से पीछे हटना माना जाएगा। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को उसे आवंटित बजट का व्यय करने के लिए न केवल प्रभावी योजना बनानी चाहिए अपितु इसके लिए उसे मिशन मोड पर कार्य भी करना होगा ताकि वर्ष 2022 कर 175 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

सरकार का उत्तर

देश में अभी तक (30-11-2021 की स्थिति के अनुसार) 104.03 गीगावाट ग्रिड इन्टर एक्टिव अक्षय विद्युत क्षमता (बड़ी पन बिजली को छोड़कर) स्थापित की गई है। करीब 52.00 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता संस्थापित की जा रही है और 31.82 गीगावाट की अतिरिक्त क्षमता के लिए निविदा जारी की गई है। मंत्रालय ने दिसंबर, 2022 तक 175 गीगावाट संस्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी संभव प्रयास किए हैं, तथापि कोविड की दो लहरों के कारण परियोजनाओं को 7.5 महीने का समय विस्तार दिया गया था। 175 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने में दिसंबर, 2022 से आगे कुछ और महीने की देरी हो सकती है। यह भी उल्लेखनीय है कि निजी सेक्टर द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता के बिना अधिकांश अक्षय ऊर्जा क्षमता जुटाई जा रही है तथा किसी वित्तीय वर्ष में बजटीय खर्च का उस वित्त वर्ष में देश में जुटाई गई अक्षय ऊर्जा क्षमता के साथ अधिक परस्पर संबंध नहीं होता।

[नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ओ एम संख्या 372-12/8/2017-पीयू, दिनांक:22/12/2021]

सिफारिश संख्या - 3

समिति इस बात पर चिंता व्यक्त करती है कि मंत्रालय लगातार अपने वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है। वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान ग्रिड से जुड़ी नवीकरणीय ऊर्जा के 15355 मेगावाट और 11852 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में मंत्रालय केवल क्रमश: 8519.52 मेगावाट औऱ 8761.26 मेगावाट ही प्राप्त कर सका। इन वर्षों के दौरान 45 प्रतिशत की कमी रही। इस प्रकार वर्ष 2020-21 (जनवरी, 2021 तक) 12380 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में 5473.08 मेगावाट क्षमता ही अधिष्ठापित की जा सकी है। समिति महसूस करती है कि निर्धारित वार्षिक वास्तविक लक्ष्य प्राप्त न करने से मंत्रालय वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त करने में अत्यंत कठिनाई का अनुभव करेगा। इस बात को देखते हुए कि मंत्रालय द्वारा बहुत कम लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, समिति आशा करती है कि मंत्रालय वित्त् वर्ष 2021-22 में लक्ष्य प्राप्त करने के संबंध में सुधार करेगा और यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय कार्यान्वयन एजेंसियों की

लगातार निगरानी सुनिश्चित करे और कठिनाईयों को दूर करने में उनकी सहायता करे और जहां भी आवश्यकता हो, अविलंब सुधारात्मक कार्रवाई करे ताकि अनुदान के विभिन्न शीर्षों के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों को सफलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके।

<u>सरकार का उत्तर</u>

वर्ष 2020-21 के दौरान, कुल 7356.13 मेगावाट संचयी अक्षय ऊर्जा क्षमता प्राप्त की गई थी। यह कम उपलब्धि वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण हुई थी। देश में अभी तक (30.11.2021की स्थिति के अनुसार) कुल 104.03 गीगावाट ग्रिड इन्टरएक्टिव अक्षय विद्युत क्षमता स्थापित की गई है। करीब 52 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा रही है और 31.82 गीगावाट की अतिरिक्त क्षमता के लिए निविदा जारी की गई है। मंत्रालय दिसंबर, 2022 तक 175 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के सभी प्रयास कर रहा है। तथापि, कोविड की दो लहरों के कारण परियोजनाओं के लिए 7.5 माह का समय विस्तार दिया गया था। 175 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने में दिसंबर, 2022 से आगे कुछ और अधिक महीने की देरी हो सकती है।

[नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ओ एम संख्या 372-12/8/2017-पीयू, दिनांक:22/12/2021]

<u>सिफारिश संख्या - 4</u>

समिति नोट करती है कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य सौर एवं पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित बिजली को ग्रिड में पारंपरिक पॉवर स्टेशनों के साथ समन्वित करना है। बड़ी मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए अंतर राज्य पारेषण प्रणाली परियोजना को वर्ष 2015-16 में मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया था। इस परियोजना को नवीकरणीय ऊर्जा संपन्न आठ राज्यों- तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश द्वारा राज्य पारेषण यूटिलिटीज़ (एसटीयू) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। मंत्रालय द्वारा इसका नियमित निगरानी की जाती है और एसटीयू को केंद्रीय अनुदान संवितरित करने की सिफारिश करता है। तथापि,

समिति यह नोट करके व्यथित है कि सुस्थापित तंत्र विद्यमान होने के बावजूद परियोजना वांछित गति से आगे नहीं बढ़ी है और विगत पांच वर्षों के दौरान (31.12.2020 तक) कुल 7365 सीकिमी. पारेषण लाइनों का निर्माण किया गया है और 9976 एमवीए की क्षमता वाले सब-स्टेशनों को शुरू किया गया है जोकि संतोषजनक नहीं है चूंकि यह 9700 किमी. पारेषण लाइनों के निर्माण और 2600 एमवीए सब-स्टेशनों को शुरू करने के निर्धारित लक्ष्य से काफी कम है। समिति की राय है कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना की धीमी प्रगति के लिए बताए गए विभिन्न कारणों के साथ मंत्रालय द्वारा अपर्याप्त निगरानी और परियोजना को वांछित महत्व न दिए जाने से भी लक्ष्यों को प्राप्त नही किया जा सका। समिति अंतरा राज्य ग्रीन एनर्जी परियोजना के पहले से ही विलंबित कार्यान्वयन के कारण चिंतित है। समिति नोट करती है कि दिए गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए मई, 2021 तक 2335 किमी पारेषण लाइनों को अधिष्ठापित किया जाना होगा ताकि विस्तरित समय-सीमा में कार्य को पूरा किया जा सके जिसकी विगत प्रदर्शन को देखते हुए संभावना नहीं दिखाई दे रही। समिति नोट करती है कि वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमान चरण में 300 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा से समृद्ध राज्यों से ऊर्जा की निकासी के लिए और ग्रिड के साथ उसे समन्वित करने के लिए इस परियोजना के महत्व को देखते हुए समिति मंत्रालय द्वारा तैयार की गई कार्य योजना के बारे में जाना चाहती है और सिफारिश करती है कि मंत्रालय द्वारा तैयार की गई कार्य योजना के बारे में जाना चाहती है और सिफारिश करती है कि मंत्रालय संबंधित राज्यों के साथ इस मामले पर तत्परता के साथ विचार-विमर्श करने के लिए मिशन मोड में कार्य करे और ग्रिड पर अत्यधिक दबाव से बचने और बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी को सुविधाकारी बनाने के लिए दी गई समय-सीमा के भीतर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर तैयार करवाने की व्यवस्था करे।

<u>सरकार का उत्तर</u>

मार्च, 2022 तक 3200 सीकेएम पारेषण लाइनों के साथ जीईसी के अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) घटक और 17000 एमवीए सब स्टेशनों का कार्य पूरा कर लिया गया है। 30.11.2021 की स्थिति के अनुसार जीईसी के पारेषण

प्रणाली (इनएसटीएस) घटक के अंतर्गत 9700 सी के एम के लक्ष्य में से लगभग 8434 सीकेएम पारेषण लाइनें बिछाई गई है तथा 22600 एमवीए के लक्ष्य में से 15268 एमवीए सब स्टेशनों को चार्ज किया गया है। जीईसी के इंट्रा-एसटीएस घटक को संबंधित राज्यों की राज्य पारेषण यूटीलिटी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इंट्रा-एसटीएस जीईसी परियोजना को चालू करने की तिथि को राज्य सरकारों के अनुरोध पर पहले 31.12.2020 तक तथा कोविड के राज्य कार्य बाधित होने की वजह से इसके आगे 31.05.2021 तक बढ़ाया गया। राज्यों से प्राप्त अनुरोधों पर जीईसी के तहत परियोजनाओं के चालू करने की समय सीमा को पुन: जून, 2022 तक बढ़ाया गया। सभी राज्यों में विभिन्न कारणों से इंट्रा-एसटीएस घटक के कार्य में देरी हुई है जो इस प्रकार है:

(क) कम बोली लगाने के कारण कुछ परियोजनाओं की फिर निविदा जारी की गई, अत: कार्य आबंटन (महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश) में देरी हुई।

(ख) कुछ परियोजनाओं को रद्द करना पड़ा क्योंकि नियोजित अक्षय ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओ पर आगे कार्य नहीं हुआ (राजस्थान)। तदनुसार, वैकल्पिक परियोजनाओं के लिए योजना बनाई गई तथा स्वीकृति दी गई। इन परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है।

(ग) कोई भी बोली न लगने के कारण कुछ परियोजनाएं रद्द करनी पड़ी, (महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश)।

(घ) कुछ राज्यों द्वारा अपने-अपने कारणों से परियोजनाएं रद्द कर दी नई (आंध्र-प्रदेश)।

(ङ) वन विभाग की स्वीकृति और मार्गधिकार (आरओडब्ल्यू) मुद्दों के कारण कुछ स्वीकृत परियोजनाओं में देरी हुई।

(च) कोविड के कारण कार्यों में बाधा पड़ने की वजह से देरी हुई।

[नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ओ एम संख्या 372-12/8/2017-पीयू, दिनांक:22/12/2021]

<u>सिफारिश संख्या - 5</u>

समिति नोट करती है कि वर्ष 2022 तक 60 गीगावाट पवन ऊर्जा के उत्पादन के लक्ष्य के समक्ष, 31 जनवरी 2021 तक कुल 38.68 गीगावाट की क्षमता प्राप्त

की गई है। समिति को पता चला है कि मंत्रालय विगत तीन वर्षों के दौरान अपने वास्तविक लक्ष्य पूरे नहीं कर सका क्योंकि वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में क्रमश: 53 प्रतिशत, 63 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। वर्ष 2020-21 में, 3000 मेगावाट के लक्ष्य के समक्ष, मंत्रालय 31 जनवरी, 2021 तक केवल 939.90 मेगावाट की क्षमता ही प्राप्त कर सका। वास्तिविक लक्ष्यों की कम प्राप्ति के बावजूद, समिति इसे विरोधभासी पाती है कि गत वर्ष के लिए आबंटित निधियां कथित रूप से पूरी तरह से उपयोग की जा चुकी हैं। इस संबंध में, समिति को सूचित किया जाता है कि चालू की गई क्षमता और बजटीय आबंटनों में कोई संबंध नहीं है जोकि आश्चर्यजनक तथा अस्वीकार्य है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए केवल पिछली देयताओं के निपटान के लिए ही जीबीआई योजना जो मार्च, 2017 तक चालू थी, के तहत 1100 करोड़ रूपये का बजट आबंटित किया गया है और अब सरकार नई पवन ऊर्जा योजना के संस्थापन के लिए कोई प्रत्यक्ष केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करा रही है। समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि सरकार देश में पवन ऊर्जा परियोजनाएं लगाने को अब प्रोत्साहित नहीं कर रही है जबकि 60 गीगावाट पवन ऊर्जा के समेकित लक्ष्य में से 35 प्रतिशत से अधिक क्षमता को अभी पूरा किया जाना है। देश में नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को पवन ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देना जारी रखना चाहिए तथा वर्ष 2022 तक 60 गीगावाट पवन ऊर्जा के लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निजी भागीदारों की सहायता करे जिससे कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अति वांछित वृद्धि होगी।

<u>सरकार का उत्तर</u>

सरकार विभिन्न प्रोत्साहनों/पहल कदमों के माध्यम से देश में पवन ऊर्जा सहित अक्षय ऊर्जा सेक्टर को सहायता दे रही है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

• ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना,

• 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन विद्युत की अंतर-राज्य बिक्री के लिए अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को माफ करना,

• वर्ष 2022 तक अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के लिए ट्रैजेक्ट्री की घोषणा करना,

• लगाओ और चलाओ (प्लग एंड प्ले) आधार पर अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को भूमि और पारेषण उपलब्ध कराने के लिए अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्कों की स्थापना करना,

• अक्षय विद्युत की निकासी हेतु नई पारेषण लाइनें बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता विकसित करना,

• निवेशों को आकर्षित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना विकास एकक की स्थापना करना,

• ग्रिड संबद्ध सौर पीवी परियोजनाओं और पवन विद्युत परियोजनाओं से बिजली की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली के लिए मानक बोली दिशानिर्देश,

• सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट - एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।

• अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन, प्रचालन और रखरखाव के लिए कुशल मानवश्रम जुटाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन।

उपरोक्त के अलावा, पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

• पवन इलेक्ट्रिक जनरेटरों के निर्माण के लिए आवश्यक कई घटकों पर रियायती सीमा-शुल्क छूट।

• 31 मार्च, 2017 को या उससे पूर्व चालू पवन परियोजनाओं के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) दिए जा रहे हैं।

• राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई के द्वारा पवन संसाधन आकलन तथा संभावित स्थलों की पहचान सहित तकनीकी सहायता।

वर्तमान में देश में पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर

की जाती है, जिससे पवन विद्युत के टैरिफ में महत्वपूर्ण कमी आई है, अर्थात् फीड इन टैरिफ (एफआईटी) के दौरान 3.51-5.92 प्रति यूनिट से घटकर बोली व्यवस्था में लगभग 2.80 रु. प्रति यूनिट हुई है। पिछली बोली में प्राप्त सबसे कम टैरिफ 2.69 रु. प्रति यूनिट है।

पवन विद्युत परियोजनाओं की समग्र स्थिति नीचे दी गई हैः-

1)	30.11.2021 तक संचयी चालू क्षमता	: 40.03 गीगावाट
2)	कार्यान्वयनाधीन क्षमता	: 9.67 गीगावाट
3)	जारी की गई बोलियाँ	: 1.50 गीगावाट
	कुल (1+2+3)	: 51.20 गीगावाट

इसके अलावा, परियोजनाओं के समय से निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए एमएनआरई आवंटित पवन विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी करता है। इसके अलावा, हितधारकों के साथ परामर्श करके समय-समय पर नीति/दिशानिर्देशों में आवश्यक संशोधन तथा परिवर्तन किए जाते हैं।

[नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ओ एम संख्या 372-12/8/2017-पीयू, दिनांक:22/12/2021]

<u>सिफारिश संख्या - 6</u>

समिति नोट करती है कि मंत्रालय का 60 प्रतिशत से अधिक बजट सौर ऊर्जा के विकास के लिए आबंटित किया जाता है जिसमें कि पीएम-कुसुम योजना भी शामिल है। तथापि, मंत्रालय ने अपने वार्षिक सौर लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया है। इसने वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लक्ष्य क्रमश: 40 प्रतिशत और 25 प्रतिशत कम प्राप्त किए हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान जनवरी, 2021 तक मंत्रालय 46 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर सका।

समिति इस बात पर चिंता व्यक्त करती है कि सौर रूफ-टॉप कार्यक्रम के अंतर्गत मंत्रालय का कार्यनिष्पादन अच्छा नहीं रहा जबकि वर्ष 2022 तक 40 गीगावाट का स्थापित रूफ-टॉप सौर-ऊर्जा का लक्ष्य था। 31 दिसम्बर, 2020 कर लगभग 3.73 गीगावाट क्षमता स्थापित की गई जो निर्धारित लक्ष्यों का 10 प्रतिशत से कम है। यह देखा गया कि रूफ-टॉप सिस्टम स्थापित करने की प्रक्रिया जटिल है तथा अधिक समय लेती है और राजसहायता आदि देने में विलंब होता है इसलिए ग्राहक

इसमें रूचि नहीं लेते हैं। समिति मानती है कि आज तक इस क्षेत्र में मंत्रालय के कार्यनिष्पादन को देखते हुए वर्ष 2020 तक 40 गीगावाट के रूफ-टॉप सौर ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव प्रतीत नहीं होता है क्योंकि वर्तमान कार्य गति धीमी है। समिति का विचार है कि ऐसी धीमी कार्य गति का मुख्य कारण आम जनता के बीच इस योजना के बारे में जानकारी न होना है। अत: समिति सिफारिश करती है कि:

(i) मंत्रालय को रूफ-टॉप सौर ऊर्जा प्रणाली के लाभों तथा इन परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रोत्साहनों के बारे में इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में सभी भाषाओं में विस्तारपूर्वक बताना चाहिए ताकि जनता के बीच इस बारे में जागरूकता पैदा की जा सके।

(ii) अपरिहार्य विलंब को दूर करने के लिए इस योजना के लिए प्रथम चरण में देश के सभी जिला मुख्यालयों में एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली लागू की जानी चाहिए ताकि ग्राहकों को रूफ टाप सौर ऊर्जा प्रणाली के संबंध में हर प्रकार की सहायता/सेवाएं/सुचनाएं बिना किसी परेशानी के उपलब्ध हो सकें।

(iii) उपरोक्त एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से राजसहायता देने की प्रिक्रिया पारदर्शी, आसान और त्वरित होनी चाहिए तथा इस प्रयोजन हेतु डिजिटल प्लेटफार्म अवश्य विकसित किया जाना चाहिए ताकि मानवीय हस्तक्षेप कम से कम हो।

<u>सरकार का उत्तर</u>

रूफटॉप सौर (आरटीएस) कार्यक्रम के सतत चरण-II के अंतर्गत, आरटीएस कार्यक्रम के चरण-II के तहत आवासीय सेक्टर के लिए 3.34 गीगावाट की कुल क्षमता स्वीकृत की गई है जिसमें से 30.11.2021 की स्थिति के अनुसार 1 गीगावाट से अधिक क्षमता स्थापित किए जाने की सूचना दी गई है तथा शेष क्षमता का कार्य कार्यान्वयन/निविदा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में है। विभिन्न सेक्टरों अर्थात् आवासीय, सामाजिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सरकारी, संस्थागत आदि में 30.11.2021 तक (सीएफए के साथ या सीएफए के बिना) कुल मिलाकर 6.0 गीगावाट से अधिक आरटीएस स्थापनाओं की कुल क्षमता प्राप्त कर ली गई है। कोविड महामारी के कारण उत्पन्न स्थितियों की वजह से सेक्टर में विकास

कार्य प्रभावित हुआ। हितधारकों के अनुरोध पर मंत्रालय ने परियोजना विशिष्ट समय विस्तार के अलावा स्वीकृत परियोजनाओं के लिए 9 महीने का व्यापक समय भी बढ़ाया है।

प्रणालियों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। दिसम्बर, 2022 तक 40 गीगावाट आरटीएस क्षमता की प्राप्ति के लिए समय-सीमा के विस्तार के मुद्दे की जांच की जा रही है। इसके अलावा, कार्यक्रम के चरण-II के कार्यान्वयन के समय निविदा प्रक्रिया में देरी तथा एल1 दरों में अत्यधिक कमी, बोलीकर्ताओं की कम संख्या, नेट मीटरिंग विनियमनों में परिवर्तन, भावी लाभार्थियों की जागरुकता में कमी, जीएसटी दरों में वृद्धि, आदि जैसे विभिन्न मुद्दों को देखा गया।

इन मुद्दों का हल निकालने के लिए निम्नलिखित पहल की गई हैं:-

(i) प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागरुकता कार्यक्रम पर सुझावों के संदर्भ में, मंत्रालय ने विज्ञापन सामग्रियाँ तैयार की हैं जिसे व्यापक प्रचार के लिए राज्यों के साथ साझा किया गया है। इसके अलावा, मंत्रालय बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों की सतत तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत, जागरुकता तथा क्षमतावर्धन गतिविधियों के लिए राज्यों को सहयोग दे रहा है। साथ ही, प्रचार तथा जागरुकता गतिविधियों के लिए परियोजनाओं के 25 प्रतिशत तक के सेवा-शुल्क का उपयोग किया जा सकता है जिसके लिए राज्यों के साथ संचार सामग्रियाँ साझा की गई हैं। आजादी का अमृत-महोत्सव के एक भाग के रूप में राज्यों द्वारा प्रचार तथा जागरुकता गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। राज्यों द्वारा अपनाई जा रही श्रेष्ठ पद्धतियों को अन्य राज्यों के साथ साझा किया जा रहा है। बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय एजेंसियों के विभिन्न तकनीकी सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत करीब 4400 डिस्कॉम इंजीनियरों/अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही, एक ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल 'सौर पाठशाला' भी विकसित किया गया है, जो सभी इच्छुक व्यक्तियों के लिए है।

(ii) आरटीएस परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। इन राज्यों ने आरटीएस आवेदनों की प्राप्ति तथा उन पर कार्रवाई के लिए प्रक्रिया विकसित की है। पोर्टल का लिंक एमएनआरई के ऑनलाइन पोर्टल (solarrooftop.gov.in) पर उपलब्ध है। विभिन्न

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिए गए पिछले आंकड़ों के अनुसार 1.39 गीगावाट के अनुरूप करीब 3.45 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 1.20 गीगावाट के अनुसार करीब 3.02 लाख आवेदनों को अनुमोदित कर दिया गया है और आरटीएस कार्यक्रम के चरण-II के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता से आवासीय सेक्टर में 1 गीगावाट से अधिक क्षमता संस्थापित की गई है। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्यों की विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा चयनित वेंडरों के माध्यम से किया जा रहा है। इच्छुक उपभोक्ता अपना प्रस्ताव ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकता है तथा डिस्कॉम द्वारा आवश्यक अनुमोदन किए जाने के बाद डिस्कॉमों की सूची में शामिल इनमें से किसी वेंडर द्वारा प्रणाली स्थापित करा सकता है। उपभोक्ता को सिस्टम की लागत में से सीएफए की राशि कम करके भुगतान करना होगा।

(iii) जिला मुख्यालयों में आरटीएस को बढ़ावा देने के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कम से कम एक शहर का चयन करने का अनुरोध किया है जिसे सौर शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। 24 राज्यों ने इस संबंध में अपने-अपने शहरों की पहचान कर ली है जिसमें से कुछ शहर जिला मुख्यालय भी है (शहरों की सूची नीचे दी गई है)।

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अभिज्ञात शहर जिसे सौर शहर के रूप में विकसित किया जाएगा**
1	असम	माजुली जिला
2	बिहार	बोध गया, राजगीर, वैशाली
3	छत्तीसगढ़	न्यु रायपुर
4	दिल्ली	एनडीएमसी
5	गुजरात	द्वारका
6	हरियाणा	पंचकुला
7	हिमाचल प्रदेश	शिमला
8	झारखंड	गिरीडीह
9	कर्नाटक	बेल्लारी तथा बिदर शहर में हॉस्पेट शहर

10	केरल	तिरुवनन्तपुरम
11	मध्य प्रदेश	सांची
12	मेघालय	वेस्ट गारो हिल्स का तुरा टाउन
13	ओडिशा	भुवनेश्वर
14	राजस्थान	पुश्कर तथा जैसलमेर
15	उत्तर प्रदेश	अयोध्या तथा प्रयागराज
16	उत्तराखंड	देहरादून
17	पश्चिम बंगाल	बीरभूम, शांतिनिकेतन में प्रांतिक
18	अंडमान और निकोबार	शहीद द्वीप
19	पंजाब	अमृतसर
20	सिक्किम	जोरेथांग
21	त्रिपुरा	उदयपुर टाउन
22	मिजोरम	सैतुला
23	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	दीव सिटी, दीव तथा दमनवाडा पंचायत, दमन
24	गोवा	पंजिम

[नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ओ एम संख्या 372-12/8/2017-पीयू, दिनांक:22/12/2021]

<u>सिफारिश संख्या - 7</u>

समिति नोट करती है कि पीएम कुसुम इस मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की मुख्य योजना है। इस योजना के लिए वर्ष 2020-21 में 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। संशोधित प्राकक्लन के स्तर पर 80 प्रतिशत की भारी कमी करके 210 करोड़ कर दिया गया। घटक-क के अंतर्गत 10,000 मेगावाट लक्ष्य की तुलना में केवल 1000 मेगावाट की मंजूरी दी और 31 दिसम्बर, 2020 तक उपलब्धि शून्य थी। मंत्रालय ने घटक-ख के अंतर्गत 20 लाख विभिन्न सौर जल पंपों के लक्ष्य की तुलना में केवल 1,71,270 को मंजूरी दी और उपलब्धि मात्र 16,546 थी। घटक-ग के अंतर्गत ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा वाले 15 लाख कृषि पंपों के लक्ष्य

की तुलना में मंत्रालय ने केवल 82,308 को मंजूरी दी और उपलब्धि अत्यंत निराशाजनक 24 ही रही। समिति अत्यंत अप्रसन्नता व्यक्त करती है कि ग्रामीण जनता के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना के संबंध में मंत्रालय का कार्यनिष्पादन अच्छा नहीं रहा। अत: समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को राज्य सरकारों के साथ समन्वय करना चाहिए तथा बातचीत करनी चाहिए और उन्हें इस योजना में भाग लेने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

दिनांक 22.07.2019 को पीएम-कुसुम योजना के दिशानिर्देश जारी किए गए थे तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पीएम-कुसुम योजना के 3 घटकों के अंतर्गत क्षमताओं के आवंटन हेतु मांग भेजने के लिए अनुरोध किया गया था। वर्ष 2019-20 के लिए अगस्त, 2019 से योजना के अंतर्गत मांग तथा लक्ष्यों की उपलब्धता पर विचार करते हुए योजना के 3 घटकों के अंतर्गत क्षमता आवंटन जारी किया गया था। पीएम-कुसुम योजना के घटक-ख के लिए केन्द्रीयकृत निविदा प्रक्रिया को दिसम्बर, 2019 में अंतिम रूप दिया गया था तथा राज्यों से सफल बोलीदाताओं को एलओए जारी करने का अनुरोध किया गया था। हालांकि, कुछ राज्यों ने मार्च, 2020 तक वेंडरों को एलओए जारी किया, इसके शीघ्र बाद कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन लागू कर दिया गया और इसके कार्यान्वयन का कार्य रुक गया। यद्यपि, कोविड-19 महामारी की पहली लहर के बाद स्थिति सुधरी और अगस्त, 2020 में पीएम-कुसुम के कार्यान्वयन को शुरू कर दिया गया, तथापि अधिकांश राज्यों ने योजना के लिए दिए जाने वाले राज्य के हिस्से में कमी कर दी जिससे आवंटित क्षमता से कम क्षमता प्राप्त हुई।

पीएम-कुसुम योजना के घटक-क के मामले में 2019-20 में 1000 मेगावाट की आरंभिक आवंटित क्षमता की तुलना में सितम्बर, 2020 तक 750 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए एलओए जारी किए गए किन्तु जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन कार्य शुरू नहीं किया जा सका जिसका कारण बैंकों से रियायती तथा जमानत मुक्त फाइनेंसिंग सुविधा न मिलना था, जिससे धरातल पर क्षमता के कार्यान्वयन में देरी हुई। इसी तरह, योजना के घटक-ग के अंतर्गत कुल परियोजना लागत का 30 प्रतिशत इच्छुक राज्य के शेयर तथा 40 प्रतिशत किसानों के शेयर

के लिए अनिच्छा व्यक्त की गई, जिससे इस घटक के अंतर्गत बहुत कम उपलब्धियाँ प्राप्त हुईं।

मंत्रालय ने योजना के घटक-क तथा घटक ग का थर्ड पार्टी मूल्यांकन किया तथा मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित अलग-अलग ग्रिड संबद्ध पंप के सौरीकरण के लिए राज्य/किसानों का अंश उपलब्ध न होने को ध्यान में रखते हुए घटक-ग में एक नया वैरिएंट शुरू किया गया। इस नए वैरिएंट में, जिसे फीडर लेवल सौरीकरण कहा जाता है, राज्य/किसान के अंश की अनिवार्यता की आवश्यकता को हटा दिया गया और अलग-अलग कृषि पंपों के लिए सौर पैनल स्थापित करने के बजाय कुछ मेगावाट आकार के एकल सौर विद्युत संयंत्र लगाए जाने का प्रस्ताव किया गया है जो एक कृषि फीडर की विद्युत आपूर्ति की आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

राज्यों ने इस वैरिएंट में अपनी रुचि दिखाई है तथा फीडर लेवल सौरीकरण के माध्यम से 2 लाख मौजूदा ग्रिड संबद्ध पंपों के सौरीकरण की क्षमता के लक्ष्य की तुलना में मंत्रालय को 2020-21 में करीब 43 लाख ऐसे पंपों के लिए मांग प्राप्त हुई है। घटकों के बीच मांग में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने घटक-ख तथा घटक- ग के बीच सीएफए के प्रतिस्थापन का प्रस्ताव किया है, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा इस बात को ध्यान में रखते हुए सहमति दी गई थी कि कुल सीएफए की राशि में कोई परिवर्तन न हो। अभी तक घटक-ख के अंतर्गत 72,000 से अधिक स्टैण्ड अलोन सौर पंप स्थापित किए गए हैं, घटक-क के अंतर्गत 18 मेगावाट क्षमता के सौर विद्युत संयंत्र लगाए गए हैं तथा घटक-ग के अलग-अलग पंप सौरीकरण वैरिएंट के अंतर्गत 1000 से अधिक पंपों के सौरीकरण की सूचना प्राप्त हुई है। मंत्रालय राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ साप्ताहिक आधार पर तीनों घटकों की प्रगति की नियमित समीक्षा कर रहा है और योजना के कार्यान्वयन में मुद्दों का समय से निराकरण कर रहा है।

[नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ओ एम संख्या 372-12/8/2017-पीयू, दिनांक:22/12/2021]

सिफारिश संख्या - 8

समिति नोट करती है कि सौर ऊर्जा मे घरेलू विनिर्माण क्षमता सीमित है और देश में केवल 2.5 गीगावाट सौर ऊर्जा सेल और 9-10 गीगावाट और मोडयूल्स का विनिर्माण किया जाता है जबकि इनकी वार्षिक सामान्य मांग 30 गीगावाट और वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करने के संदर्भ में 100 गीगावाट प्रति वर्ष है। बजट में उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई ताकि 5 वर्षों में 4500 रु. के परिव्यय से 'उच्च क्षमता वाले सौर पीवी मोड्यूल्स' के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने की अकेली योजना बनाने में यद्यपि 5 वर्षों से अधिक समय लगा लेकिन फिर भी यह सरकार का स्वागत योग्य प्रयास है और सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' मिशन को देखते हुए इसका महत्व और बढ़ जाता है। समिति आशा करती है कि मंत्रालय निष्ठा से इस योजना को क्रियान्वित करेगा ताकि इसके अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सके जिससे आयात पर हमारी निर्भरता काफी घट जाएगी और बहूमूल्य विदेशी मुद्रा भी बचेगी।

समिति टिप्पणी करती है कि मंत्रालय ने विषय की जांच के दौरान बताया था कि घरेलू और अयतित सौर सेल्स्/मोड्यूल्स की लागत में 21-22 प्रतिशत का अंतर है। मंत्रालय ने बताया कि इस समय 15 प्रतिशत से भी कम संरक्षोपाय शुल्क लगाया जाता है। यह घरेलू विनिर्माताओं के लिए सहायक नहीं है और वे नए संयंत्र लगाने के इच्छुक नहीं हैं। जैसा कि समिति को सूचित किया गया है कि सरकार को आगामी तिथि अर्थात् अप्रैल, 2022 से बुनियादी सीमा शुल्क अधिरोपित करने का प्रस्ताव दिया गया है, ताकि सभी विद्यमान परियोजनाएं इससे पहले ही कार्य करना शुरू कर दें। समिति आशा करती है कि सरकार सौर क्षेत्र से संबंधित आयातों पर बुनियादी सीमा शुल्क अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर विचार करने के दौरान विभिन्न जटिलताओं का गहन विश्लेषण करें जिसमें घरेलू बाजार में सोलर सेलों/मोड्यूल्स की उपलब्धता, आयातित उत्पादों के मूल्य में वृद्धि की संभावना और परिणामस्वरूप संभावित ग्राहकों में हतोत्साह, वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करने पर इसका प्रभाव जैसे आदि तथ्यों पर विचार किया जाए। समिति चाहती है कि 'आत्म निर्भर भारत मिशन' को सही अर्थों में हासिल करने के लिए सभी सौर ऊर्जा संबंधित उत्पादों के

घरेलू विनिर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा सुविचारित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

<u>सरकार का उत्तर</u>

स्वदेशी विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए, एमएनआरई स्वदेशी सौर पीवी विनिर्माण में सहयोग देने हेतु लगातार नीतियां ला रहा है। इसमें से कुछ नवीनतम पहल कार्य इस प्रकार हैं:

• एमएनआरई ने पीएम-कुसुम, सौर रूफटॉप, सीपीएसयू जैसी योजनाओं में स्वदेशी सेलों तथा मॉड्यूलों की अनिवार्य रूप से संस्थापना करके स्वदेशी सेलों तथा मॉड्यूलों के लिए अगले 2-3 वर्षों में 36 गीगावाट से अधिक का बाजार बनाया है।

• इसके अलावा, सरकार/सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए "सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश" को लागू करके स्वदेशी रूप से निर्मित सौर पीवी मॉड्यूलों तथा सौर इन्वर्टरों की खरीद तथा उसके उपयोग को अनिवार्य कर दिया गया है।

• सरकार ने भारत में सेलों, वेफरों, इंगोट्स, पॉलीकॉन जैसे अपस्टेज वर्टीकल कंपोनेंट सहित उच्च दक्षता के सौर पीवी मॉड्यूलों के निर्माण को बढ़ावा देने हेतु उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना "उच्च दक्षता के सौर पीवी मॉड्यूलों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम" जारी किया है और इस प्रकार सौर पीवी सेक्टर में आयात निर्भरता को कम किया है। इस योजना के अंतर्गत करीब 10.5 गीगावाट का पूर्ण रूप से एकीकृत सौर पीवी विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए आंवटन पत्र (लेटर ऑफ आवार्ड) जारी किया है।

• सरकार ने 01.04.2022 से सौर पीवी सैलों तथा मॉड्यूलों के आयात पर बुनियादी सीमा-शुल्क लगाने के अपने निर्णय की घोषणा की है।

• सरकार ने सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की शुरूआती स्थापना के लिए सामग्री/उपकरणों के आयात हेतु सीमा-शुल्क रियायती प्रमाण-पत्र जारी करना बंद कर दिया है।

• भारत में लगाए जा रहे सौर पीवी मॉड्यूलों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए एनएनआरई ने सौर पीवी सेलों तथा मॉड्यूलों की सुविधाओं के निर्माण की पूरी जांच करने के बाद उसे सूचीबद्धता की व्यवस्था में शामिल किया है। दिनांक

02.01.2019 को एएलएमएम (मॉड्लों तथा विनिर्माताओं की अनुमोदित सूची) आदेश जारी किया गया था। इस आदेश के तहत पहली सूची, सौर पीवी मॉड्यूलों के मॉडलों तथा विनिर्माताओं के लिए सूची-I दिनांक 10.03.2021 को प्रकाशित की गई है और यह समय-समय पर अद्यतन की जा रही है। इससे सूचीबद्धता की समय-सीमा के द्वारा स्वदेशी विनिर्माताओं को एक के लिए भी सीमा होगी।

[नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ओ एम संख्या 372-12/8/2017-पीयू, दिनांक:22/12/2021]

<u>सिफारिश संख्या - 9</u>

समिति नोट करती है कि वर्ष 2017-18 से नवीन राष्ट्रीय जैव-गैस और जैविक उर्वरक कार्यक्रम के लिए बजटीय धनराशि में कमी की गई तथा मंत्रालय लगातार इस कम किए गए वित्तीय आवंटन का भी उपयोग करने में विफल रहा। इस योजना के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किए जा सके। समिति को यह जानकारी दी गई कि निर्माण लागत में वृद्धि, राज्य स्तर पर इस योजना को कम प्राथमिकता देना, उज्जवला योजना आदि के प्रभाव के कारण लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। समिति टिप्पणी करती है कि विद्युत उत्पादन के साथ-साथ जैव-गैस संयंत्र न केवल ग्रामीण जनता के खाने पकाने के ईंधन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं बल्कि उन्हें जैविक बायो-उर्वरक भी प्रदान करते हैं। अत समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को इस योजना के लाभों का व्यापक प्रचारा करना चाहिए और जैव-गैस संयंत्र स्थापित करने के लिए अधिक लागत को पूरा करने हेतु वहनीय ऋण सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

एमएनआरई के तहत बायोगैस संयंत्र की स्थापना के लिए सीएफए उपलब्ध करवाने के अलावा, मंत्रालय बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है

• किसानों एवं बायोगैस उपयोगकर्ताओं, बायोगैस टर्नकी वर्कर/इन्टॉलर के प्रशिक्षण में सहायता तथा देश में राज्य/संघ शासित प्रदेशों की कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए), खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी); और राष्ट्रीय डेयरी

विकास बोर्ड, (एनडीडीबी) आनंद के माध्यम से देश में बायोगैस कार्यक्रम के बारे में जन जागरूकता लाना और

• ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में आठ बायोगैस संयंत्र कार्यरत हैं, जो बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, बायोगैस टर्नकी वर्करों को कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण तथा सूचना एवं जन जागरूकता में सहायता प्रदान कर रहे है।

एनएनबीओएमपी, जो दिनांक 31.03.2021 तक मान्य था, के लिए ईएफसी द्वारा, पूर्व की देनदारियों को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक जारी रखने की सिफारिश की गई है। इस प्रकार दिनांक 31.03.2021 के बाद कोई नई परियोजना मंजूर नहीं की जानी है।

[नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ओ एम संख्या 372-12/8/2017-पीयू, दिनांक:22/12/2021]

<u>सिफारिश संख्या - 12</u>

समिति नोट करती है कि भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार का मिनि रत्न (श्रेणी-) उद्यम है। यह एकमात्र गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थान है जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों संबंधी परियोजनाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है तथा उनके संवर्धन और विकास के लिए कार्य करता है। समिति पाती है कि इरेडा पर 8857.20 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा का ऋण बकाया है जिसके लिए भारत सरकार ने गारंटी दी है और इसने इसके लिए वर्ष 2019-20 में 96 करोड़ रुपए और 2020-21 में 118 करोड़ रुपए का गारंटी शुल्क दिया है। समिति महसूस करती है कि कम से कम भारत सरकार के शत प्रतिशत स्वामित्व के अधीन उद्यमों पर गारंटी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए। आगे, यह भी बताया गया है कि इरेडा की बायोमास क्षेत्र में 69.2237 करोड़ रुपए और लघु जल विद्युत क्षेत्र में 628.4256 करोड़ रुपए की गैर निष्पादनकारी आस्तियां हैं। समिति विशेषरूप से निम्नवत सिफारिश करती है

(i) मंत्रालय तो इरेडा को संप्रभु गारंटी देने के बदले सरकार द्वारा लगाए गए गारंटी शुल्क के भुगतान से छुट दिए जाने की संभावनाओं, जिससे उसे तुलन-पत्र को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी, का पता लगाना चाहिए;

(ii) इरेडा को भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों के अनुरूप अपनी गैर निष्पादनकारी आस्तियों को कम करने के लिए तंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए;

(iii) समिति को पिछले तीन वर्षों के दौरान बट्टे खाते डाले गए ऋण का ब्यौरा दिया जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

लघु पन-बिजली क्षेत्र के लिए एनपीए के आकड़ों, को दिनांक 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार 728.43 करोड़ रुपए पढा जाए।

(i) इरेडा ने एमएनआरई के माध्यम से वित्त मंत्रालय को सॉवरेन गारंटीड इंटरनेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए भारत सरकार के गारंटी शुल्क की माफी/छूट/कटौती करने का अनुरोध किया गया है। भारत सरकार के गारंटी शुल्क की माफी से अक्षय ऊर्जा (आरई) क्षेत्र के ऋण के लिए विदेशी मुद्रा ऋणों की कुल समग्र लागत कम हो जाएगी। इससे कंपनी आरई प्रोजेक्ट डेवलपर के लिए ब्याज दरों में और अधिक लाभ प्रदान करने में सक्षम होगी। डीईए ने कुछ मामलों में सॉवरेन गारंटी शुल्क (एसजीएफ) कम किया है। डीईए ने दिनांक 11.03.2021 के आ.शा. पत्र के माध्यम से यह अनुरोध किया था कि एसजीएफ को 469 मिलियन अमरीकी डॉलर को लाइन के ऑफ क्रेडिट के लिए 0.1 प्रतिशत प्रति वर्ष रखा जाए, जिसे 1.2 प्रतिशत प्रति वर्ष से घटाकर 0.5 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया गया था। एमएनआरई मामला दर मामला आधार पर डीईए के साथ एसजीएफ को माफ करने/घटाने के मामलों को उठा रहा है। वर्तमान में भारत सरकार का गारंटी शुल्क प्रति वर्ष 0.5 प्रतिशत से -1.2 प्रतिशत तक है।

(ii) इरेडा, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर यथा घोषित वित्तीय व्यवस्था के विभिन्न बेंचमार्क का पालन कर रहा है, जिनमें दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण व्यवस्था आरबीआई के परिपत्रों के अनुरूप अपनी नीतियां बनाना शामिल हैं। इरेडा ने प्रणाली और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे:

• सभी परियोजनाओं के लिए परियोजनाओं के मूल्यांकन, संवितरण आदि के समय वित्तीय सहमति की शुरूआत की गई है।

• समर्पित जोखिम और निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना।

• आवश्यकता के अनुसार, पूर्व चेतावनी संकेतों की पहचान करने एवं समय पर वसूली कार्रवाई करने के लिए एनपीए खातों सहित संपूर्ण ऋण पोर्टफोलियों की आवधिक समीक्षा और निगरानी।

• एनपीए सहित दबावग्रस्त आस्तियों की नियमित आवधिक निगरानी के लिए एक अलग बोर्ड स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

• परियोजनाओं में देरी, परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन और संचालन संबंधी समानताओं और साथ ही, प्रचालनों के दौरान के लिए शुरूआती संकेतों को जानने के लिए इरेडा द्वारा नियमित निगरानी और ऋणदाता के स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति भी की जा रही है, ताकि एनपीए की वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके।

इसके अलावा, इरेडा समय पर कदम उठा रहा है जैसे:

• आवश्यक मामलों में ऋणों की पुनसंरचना/प्रबंधन में परिवर्तन।

• नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी के माध्यम से समाधान।

• सिक्योरिटाइजेशन एडं रीकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट, सरफेसी अधिनियम के माध्यम से वसूली।

• ऋण वसूली अधिकरण, डीआरटी में वसूली मुकदमा दायर करना।

• गारंटरों के विरुद्ध दिवाला कार्यवाही/समापन याचिका शुरू करना।

यह देखा जा सकता है कि हाल की पहलों के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के दौरान एनपीए में और कमी आई है, सकल एनपीए, दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार 8.77 प्रतिशत से घटकर 30.09.2021 की स्थिति के अनुसार 8.05 प्रतिशत हो गया है और निवल एनपीए दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार 5.61 प्रतिशत से घटकर दिनांक 30.09.2021 की स्थिति के अनुसार 4.87 प्रतिशत हो गया।

(iii) इरेडा प्रबंधन ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों में किसी भी ऋण को बट्टे खाते में नहीं डाला है, हालांकि, एक परियोजना के मामले में इरेडा को 24.90 करोड़ रुपए

का त्याग करना पड़ा। क्योंकि यह भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रमुख ऋणदाता की हैसियत से एक बारगी निपटान (ओटीएस) का एक प्रस्ताव था।

[नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ओ एम संख्या 372-12/8/2017-पीयू, दिनांक:22/12/2021]

अध्याय - तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है ।

-शून्य-

अध्याय - चार

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

<u>सिफारिश संख्या - 2</u>

समिति नोट करती है कि संशोधित प्राकक्लन के समय मंत्रालय की सकल बजटीय सहायता में काफी कमी की गई। वर्ष 2019-20 में आवंटन में लगभग 26 प्रतिशत और वर्ष 2020-21 में लगभग 38 प्रतिशत कमी की गई है। समिति टिप्पणी करती है कि मंत्रालय पिछले वर्षों के दौरान कम आवंटन का भी पूर्ण उपयोग नहीं कर सका। इसने वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 (जनवरी, 2021 तक) के दौरान संशोधित बजट आवंटन का क्रमश 86.97 प्रतिशत, 91.53 प्रतिशत और 69.78 प्रतिशत का उपयोग किया। समिति को इस बात पर आश्चर्य है कि जिस महत्वपूर्ण और सक्रिय क्षेत्र को वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट क्षमता के लक्ष्यों को प्राप्त करना है उसके लिए आबंटित धनराशि अप्रयुक्त रही। आवंटित धनराशि का उपयोग न करना ऐसे देश में स्वीकार्य नहीं है, जहां बजटीय संसाधन सीमित है और विवेकपूर्ण वित्तीय आयोजना से अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को पूरा किया जाना हो, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि बजटीय आवंटनों का पूर्ण और उचित उपयोग किया जाए। किसी विशेष वित्तीय वर्ष हेतु संसद द्वारा स्वीकृत बजटीय आवंटनों को केवल कागज़ पर ही नहीं रहने दिया जा सकता क्योंकि यह धनराशि बजटीय साधन सीमित होते हैं और व्यपगत होने वाली होती है तथा जिसका उस विशेष वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व निर्धारित बजटीय समय-सीमा के भीतर उपयुक्त रूप से व्यय तथा उपयोग किया जाना होता है। समिति का यह विचार है कि संशोधित प्राकक्लनों के चरण पर बजटीय आवंटन में लगातार कमी और विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत कम बजट आवंटन का भी पूरा उपयोग न करना मंत्रालय की वित्तीय आयोजना में कमी दर्शाता है। अत: समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को अपनी बजट बनाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना चाहिए और धनराशि के उपयोग की अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्योकिं आवंटित धनराशि

का लगातार पूर्ण उपयोग न करने से आने वाले वित्तीय वर्षो में बजटीय आवंटन की मंत्रालय की मांग पर विपरीत प्रभाव होता है।

सरकार का उत्तर

समिति के सुझावों को, अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।वर्ष 2020-21 के दौरान, बजट अनुमान 5753 करोड़ रुपए तथा संशोधित अनुमान 3591 करोड़ रुपए की तुलना में वास्तविक व्यय 3096.73 करोड़ रुपए था जो संशोधित अनुमान का 86.24 प्रतिशत था। यह कमी, मुख्य रूप से कोविड महामारी फैलने तथा आर्थिक कार्य विभाग द्वारा दिसंबर 2020 तक प्रत्येक माह के दौरान बजटीय परिव्यय का 5 प्रतिशत मासिक तक व्यय सीमित करने के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों के कारण भी थी।

इसके अलावा, देश में अधिकांश ग्रिड संबद्ध अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित निजी सेक्टर के डेवलपरों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। अक्षय ऊर्जा (आरई) टैरिफ में गिरावट के कारण ग्रिड संबद्ध विद्युत के लिए कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं है। अत: किसी वित्तीय वर्ष में बजटीय खर्च का उस वर्ष में स्थापित आरई क्षमता के साथ अधिक सह-संबंध नहीं होता।

[नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ओ एम संख्या 372-12/8/2017-पीयू, दिनांक:22/12/2021]

समिति की टिप्पणियां

(कृप्या प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा संख्या 9 देखें)

सिफारिश संख्या - 10

समिति टिप्पणी करती है कि देश में परिवहन के लिए बॉयो-सीएनजी के उत्पादन हेतु और उद्योगों की तापीय और विद्युत ऊर्ज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्युत और बॉयोगैस उत्पादन हेतु म्युनिसिपल सोलिड वेस्ट, शहरी, औयोगिक और कृषि अपशिष्ट/अवशिष्ट आधारित 221 अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित किए गए है। समिति नोट करती है कि मंत्रालय अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्य प्राप्त कर सका है लेकिन धनराशि

का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया क्योंकि यह आवंटित पूर्ण राशि का उपयोग नहीं कर सका। अत कहा जा सकता है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्य बढाए जा सकते हैं ताकि इसकी पहुंच बढ़ाई जा सके। समिति यह भी मानती है कि कृषि अवशिष्ट/अपशिष्ट के उपयोग से ऊर्जा उत्पादन में पराली जलाने के मामलों में कमी आएगी जिससे वायु प्रदुषण की समस्या का समाधान हो सकेगा। अत समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर करने के लिए स्थानीय निकायों के साथ परामर्श कर अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र लगाने को प्रोत्साहित करना चाहिए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिश को प्रभाग द्वारा नोट कर लिया गया है। इस संबंध में यह अवगत कराना है कि यह मंत्रालय "शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट/अवशिष्ट से ऊर्जा पर कार्यक्रम" के तहत शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा दे रहा है। कार्यक्रम के तहत परियोजना विकासकर्ताओं को केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की गई थी। इस कार्यक्रम की वैधता के दौरान, इस मंत्रालय द्वारा एमएसडब्ल्यू से विद्युत की 5 परियोजनाओं सहित 29 अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। यह कार्यक्रम दिनांक 31.03.2021 को समाप्त हो गया।

कार्यक्रम को दिनांक 31.03.2021 से आगे जारी रखने के लिए राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम की अम्ब्रेला योजना के तहत एक ईएफसी प्रस्ताव व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को भेजा गया था। इस प्रस्ताव में स्थानीय निकायों द्वारा शहरी क्षेत्रों में 50 एमएसडबल्यू आधारित बिजली संयंत्रों की स्थापना करना शामिल है। हालांकि दिनांक 22.09.2021 को आयोजित ईएफसी की बैठक के दौरान यह सिफारिश की गई थी कि कार्यक्रम केवल पहले की देनदारियों को पूरा करने के लिए जारी रखा जा सकता है और इस कार्यक्रम की उप योजनाओं के तहत कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं की जा सकती है।

[नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ओ एम संख्या 372-12/8/2017-पीयू, दिनांक:22/12/2021]

समिति की टिप्पणियां

(कृप्या प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा संख्या 12 देखें)

सिफारिश संख्या - 11

समिति यह नोट करती है कि मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र मं नवीकरणीय ऊर्जा के विकास हेतु अपने वार्षिक बजट का 10 प्रतिशत उपयोग करने संबंधी दायित्व को पूरा नहीं कर पाया है। मंत्रालय द्वारा बार-बार बताया गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए जिस कारण धनराशि में काफी कमी हुई। यह भी बताया गया कि अन्य राज्यों की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र में सौर और पवन ऊर्जा की संभावना कम है, इसलिए इन क्षेत्रों में सौर और पवन ऊर्जा की संभावना कम है, इसलिए इन क्षेत्रों में सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन लाभप्रद नहीं है। लेकिन हम जानते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में लघु जल विद्युत की पर्याप्त संभावना है तथापि वर्ष 2017-18 से इसकी क्षमता में शून्य वृद्धि हुई और वर्ष 2018-19 में न्यूनतम वृद्धि हुई। इस बात को ध्यान मे रखते हुए कि पूर्वोत्तर राज्य मंत्रालय की ऑफ-ग्रिड तथा विकेंद्रीकृत एप्लीकेशन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को पूर्वोत्तर राज्यों में प्राथमिकता देनी चाहिए और कोई योजना बनाते समय इस क्षेत्र की विशिष्टताओं को ध्यान में रखना चाहिए।

सरकार का उत्तर

वर्ष 2020-21 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) को आंवटित धनराशि का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2020-21	565.00	335.00	107.00

ऑफ-ग्रिड सौर पीवी कार्यक्रम चरण-II, को विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए दिनांक 1-4-2020 से 31-3-2021 तक सौर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए सौर स्टडी लैंप के वितरण और 90 प्रतिशत सब्सिडी के साथ सार्वजनिक संस्थानों के लिए सौर ऊर्जा पैक के वितरण के लिए बढ़ाया गया था।

वर्ष 2021-22 के दौरान 565.00 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में नवंबर 2021 तक 23.18 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

[नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ओ एम संख्या 372-12/8/2017-पीयू, दिनांक:22/12/2021]

<u>समिति की टिप्पणियां</u>

(कृप्या प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा संख्या 15 देखें)

अध्याय - पांच
टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

-शून्य-

नई दिल्ली;
15 मार्च, 2022
24 फाल्गुन, 1943 (शक)

राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,
सभापति,
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

परिशिष्ट - एक

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की 15 मार्च, 2022 को समिति कक्ष 'बी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में सम्पन्न हुई नौवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 1030 बजे से 1100 बजे तक चली।

लोकसभा

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह - सभापति

2. श्री सुनील कुमार मंडल
3. श्री पी. वेलुसामी
4. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
5. श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़
6. श्री एस. ज्ञानतिरावियम
7. श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर
8. श्री एस.सी. उदासी

राज्य सभा

9. श्री अजीत कुमार भुयान
10. श्री टी.के.एस. एलंगोवन
11. श्री मुजीबुल्ला खान
12. श्री एस. सेल्वागनबेथी
13. श्री संजय सेठ
14. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय	-	संयुक्त सचिव
2. श्री आर.के. सूर्यनारायणन	-	निदेशक
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा	-	अपर निदेशक

2. सर्वप्रथम, सभापति ने सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची से अवगत कराया। तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों को विचार करने और उन्हें स्वीकार करने के लिए लिया:

(i) 'नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी समिति के छठे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई' संबंधी प्रतिवेदन।

(ii) 'विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी समिति के सातवें प्रतिवेदन (17वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई' संबंधी प्रतिवेदन।

(iii) 'नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23)' संबंधी प्रतिवेदन।

(iv) 'विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23)' संबंधी प्रतिवेदन।

3. प्रतिवेदनों की विषय-वस्तु पर चर्चा करने के पश्चात, समिति ने बिना किसी संशोधन/परिवर्तन के उपरोक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को स्वीकार किया। समिति ने सभापति को उपर्युक्त प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और उन्हें संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए भी प्राअधिकृत किया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

परिशिष्ट - दो

(प्रतिवेदन के प्राक्कथन के अनुसार)

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण

एक.	सिफारिशों की कुल संख्या	12
दो.	टिप्पणियां /सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है क्रम सं. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 12 कुल: प्रतिशत	 09 75%
तीन.	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है शून्य कुल: प्रतिशत	 शून्य 00
चार.	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है क्रम सं. 2, 10 और 11 कुल: प्रतिशत	 03 25 %
पांच	टिप्पणियां /सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं शून्य कुल: प्रतिशत	 शून्य 00